



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54923

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8092 वर्ष 2026

शंभू प्रसाद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: शशि शंकर शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शशि शंकर शुक्ला और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक को प्रकरण अपराध संख्या 04/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी आईपीसी, पुलिस स्टेशन- बंसी, जिला- सिद्धार्थ नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक प्रथम शिकायतकर्ता का सगा भतीजा है, जो पिछले 30 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहा है और उक्त संपत्ति की देखभाल कर रहा है। यह भी बताया गया है कि प्रथम शिकायतकर्ता के पिता द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर, तहसील अभिलेख में आवेदक का नाम मुटेट किया गया है। इसके बाद, प्रथम शिकायतकर्ता द्वारा बेदखली और स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में प्रकरण संख्या 244/2020 (तेज बहादुर बनाम शंभू और अन्य) दायर किया गया था, जो अभी लंबित है। यह भी बताया गया है कि यद्यपि विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, और केवल आवेदक पर दबाव डालने के लिए, प्रथम शिकायतकर्ता द्वारा आवेदक के खिलाफ वर्तमान एफआईआर दर्ज की गई है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी बताया गया है कि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, इसलिए, हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 09.06.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आदेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **शंभू प्रसाद** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदारों (प्रत्येक समान राशि के) प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है। इस वचन के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि अवर न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगी ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हो, जिसमें *जमानत देने की नीति रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय दिनांक 31.01.2023 को दिया गया था और जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था।*

18 मार्च, 2026

एसए

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”